रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 1970/माघ 24, 1891
No. 51] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1970/MAGHA 24, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February 1970

S.O. 617.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

(a) Offences punishable under sections 148, 149, and 452 of the Indian Penal Code 1860 (45 of 1860);

(b) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with, one or more offences mentioned in clause (a) and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/1/70-AVDII.]

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी 1970

सा० आ० 617—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित

अपराधों को ऐसे अपराधों के रूप में निर्दिष्ट करती है, जिनका दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषण किया जाना है, अर्थात् :—

(क) भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 148, 149 और 452 के अधीन दंडनीय अपराध,

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के बारे में या इस से संबंधित किये गये प्रयत्न, उकसाहट और षडयंत्र और उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न होने वाली उस क्रिया के दौरान किये गये कोई अन्य अपराध ।

[सं० 228/1/70-प्र०स०प्र० (2)]

ORDER

New Delhi-1, the 13th February, 1970

S.O. 618.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government, with the consent of the Government of the State of Rajasthan, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the State of Rajasthan for the investigation of the offences punishable under sections 148, 149, 307 and 452 of the Indian Penal Code and any other offence committed in the course of the same transaction relating to the assault on some students of the Vivekanand Hostel of the Rajasthan University, Jaipur, on the 3rd February, 1970.

[No. 228/1/70-AVDII.]

J. M. LALVANI, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1970

सा० आ० 618—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 5(1) के साथ पठित धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, राजस्थान राज्य सरकार की सहमति से, एतद्द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को राजस्थान राज्य में दंड संहिता प्रक्रिया की धाराओं 148, 149, 307 और 452 के अधीन दंडनीय अपराध और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विवेकानन्द होस्टल के कुछ विद्यार्थियों पर 3 फरवरी, 1970 को किये गये हमले के संबंध में, उत्पन्न होने वाली उसी क्रिया के दौरान किये गये कोई अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए बढ़ाती है ।

[सं० 228/1/70-प्र०स०प्र० (2)]

जे० एम० लालवानी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970